न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीनिधि. बी.टी, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 5/2019 RCMS No. 2019/00202

दायरा तिथि : 28.01.2019

आदेश तिथि : 30-10-2019

प्रार्थी :–

भीमाराम पुत्र दुदाराम जाति मेघवाल

निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–

मूलाराम पुत्र रामाजी जाति मेघवाल

निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित नियम–68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012

आदेश दिनांक : 30-10-2019

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि बीजापुर नाना के खसरा नंबर 950 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म नहरी सोयम मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अन्य खातेदार श्री मूलाराम पुत्र रामाजी मेघवाल की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 951 रकबा 0.55 हैक्टर की भूमि मे से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियॉ भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही अप्रार्थी को आक्षेप प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के बावजुद अप्रार्थी द्वारा वकालतन/ असालतन आदिनांक तक उपस्थिति नहीं दी गई, जिससे अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। तहसीलदार बाली ने मय भू.अ.निरीक्षक, बीजापुर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2019/576 दिनांक 14.03.2019 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार पेश की गई:––

1. आवेदक खातेदार श्री भीमाराम पुत्र दूदाराम जाति मेघवाल निवासी बीजापुर तहसील बाली की खातेदारी भूमि बीजापुर के खसरा नंबर 950 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म नहरी दोयम में आवागमन के लिये रेकर्ड अनसार रास्ता दर्ज नहीं है, तथा प्रस्तावित भूमि के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।
2. रास्ता हेतु प्रस्तावि भूमि का भू0भाग निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म भूमि	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
01	951	0.55	नहरी सोयम	46X4=184 व.मी. (0.0184 हैक्टर)	मूला पुत्र रामा कौम मेघवंशी

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बीजापुर की डी.एल.सी. दर 34500/–रूपये प्रति बीघा हैं।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं है तथा न ही अन्य किसी प्रकार की क्षति होगी।

तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील प्रार्थी श्री कैलाश पारंगी की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील प्रार्थी की दलीलो पर मनन के पश्चात प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आवेदक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा धारा 251(क)(1)(ख) एवं (ii) एवं नियमो के नियम–69(ii) के अन्तर्गत ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 950 की भूमि मे आवागमन हेतु

पेज लगातार. ...02

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 5/2019 RCMS No. 2019/00202 अनवान भीमाराम बनाम मूलाराम

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 951 रकबा 0.55 हैक्टर मे से **46x4=184 व.मी.**. नया मार्ग तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न नक्शा मौका के अनुरूप नियमो के नियम–70(ii)(क) के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रतिकर राशि निर्धारित कर उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

ख. नं.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर) व किस्म	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल (व. मी.)	डीएलसी दर 34500/– रूपये प्रति बिघा की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि (डीएलसी दर की दुगुनी)	प्रभावित खातेदार का नाम
951	0.55 हैक्टर नहरीसोयम	**46x4=184 व.मी**	21.56	7934	मूलाराम पुत्र रामाजी मेघवाल नि0 बीजापुर

तहसीलदार, बाली के प्रतिवेदनानुसार प्ररतावित रास्ते मे अन्य कोई क्षति यथा वृक्ष/संरचना/निर्माण कारित नही है। अतः राशि रूपये 7934/– अक्षरे **सांत हजार नौ सो चौतीस रूपये** बतौर प्रतिकर उपरोक्त खातेदार को देय होंगे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क)(2) के तहत स्वीकृत रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बतौर "रास्ता" राजकीय खाते में दर्ज की जावेगी एवं आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार आवेदक को अर्जित नही होगे। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुसार नक्शे में **21.56 वर्गमीटर** नया रास्ता की तरमीम के साथ राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावेगा। आवेदक द्वारा राशि रूपये **7934/–** अप्रार्थी प्रभावित खातेदारान् को अदा की जावेगी प्रभावित खातेदार/अप्रार्थी द्वारा आवेदक से प्रतिकर राशि ग्रहण नही करने की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि बतौर अमानत तहसील कार्यालय, बाली में जमा करवाई जावेगी तथा तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त राशि प्रभावित खातेदारान् को उपलब्ध कराई जावेगी। तहसीलदार द्वारा बाली द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। तहसीलदार बाली आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि के भुगतान की सुनिश्चितता कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 30-10-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

sreenidhi

(श्री श्रीनिधिं बी.टी.,)

आई.ए.एस.

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

पदेन सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक : कोर्ट/2019/ 1173-1178

दिनांक : 31-10-2019

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, बाली/नायब तहसीलदार, बेडा
2. भू.अ.निरीक्षक, बीजापुर
3. पटवारी हल्का, बीजापुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार, बाली
5. प्रार्थी श्री भीमाराम पुत्र दुदाराम जाति मेघवाल निवासी बीजापुर तहसील बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

sreenidhi

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

पदेन सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

...नियम, 1955

नक्शा किश्तवार

ग्राम बीजापुर

तहसील बाली

जिला पाली

पै. 1 से.मी. = 40 मीटर

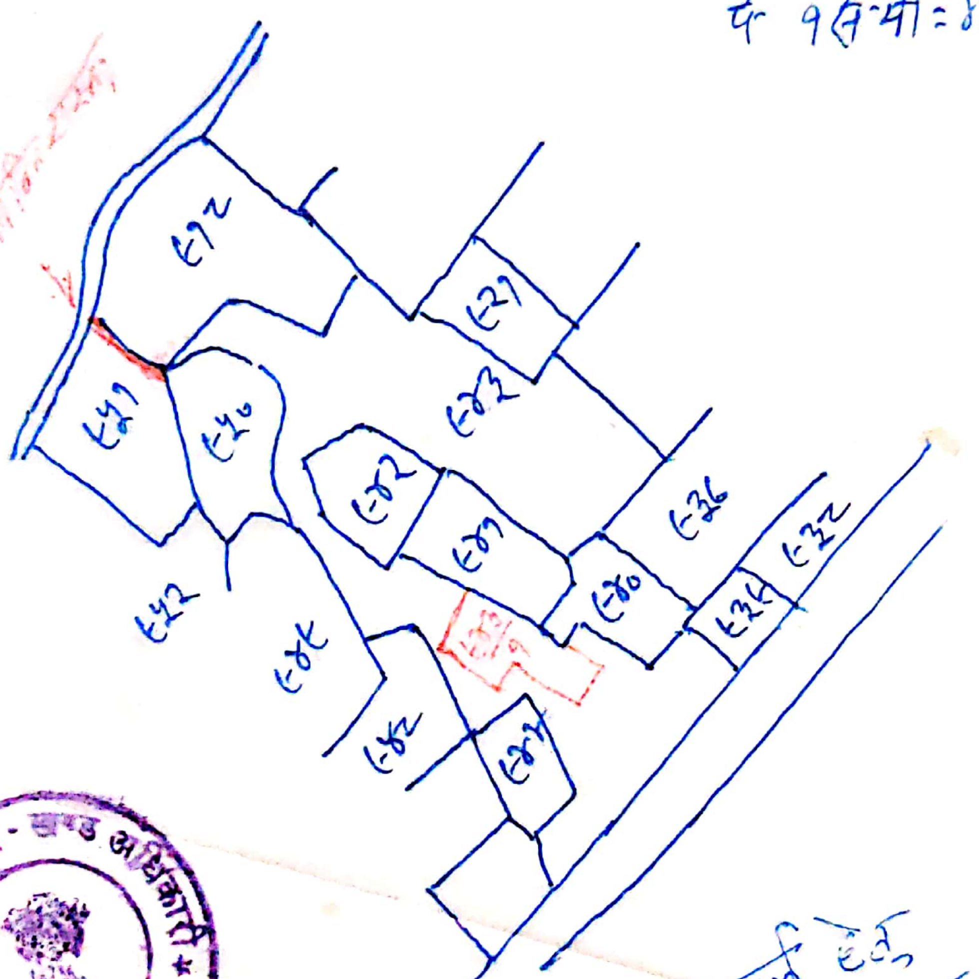

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

अवलोकनार्थ हेतु

29/3/19

कृष्णसिंह
पटवारी (भू.अ.) बीजापुर
तहसील बाली जिला-पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sreenidhi B T
Date: 2019.11.28 15:10:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: